

सारण समाहरणालय(जिला योजना कार्यालय) सारण,छपरा।

आदेश

प्रधान सचिव योजना एवं विकास विभाग, बिहार पटना के विभागीय संकल्प संख्या 5255 दिनांक 23.06.2014, 3756 दिनांक 10/11/13 एवं पत्रांक 1780 दिनांक 3/05/2013 एवं योजना एवं विकास विभाग के पत्रांक 4973 दिनांक 25/11/13 के आलोक में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के मार्गदर्शिका में विहित प्रावधान के तहत महाप्रबंधक, एन0बी0सी0सी0 इंडिया लिमिटेड, मौर्या लोक कम्प्लेक्स, पटना के द्वारा पत्रांक 03 दिनांक 03.12.2018 द्वारा तकनीकी स्वीकृत प्राक्कलन उपलब्ध कराया गया है। एन0बी0सी0सी0 इंडिया लिमिटेड द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त निम्नलिखित योजनाओं की तकनीकी स्वीकृत राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

| क्र0 | प्रखंड का नाम | स्वीकृत योजनाओं का नाम | तकनीकी स्वीकृति की राशि | प्रशासनिक स्वीकृति की राशि | विमुक्ति राशि 75 प्रतिशत | माननीय सदस्य का नाम |
|------|---------------|--|-------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | दरियापुर | EPDM Base के साथ Volleyball कोर्ट का निर्माण:- दरियापुर प्रखण्ड में दरिहारा गंडक बांध के पश्चिम सार्वजनिक स्थान पर | 1497614 | 1497614 | 1120000 | श्री राजीव प्रताप रुढ़ी |
| | | कुल योग:- | 1497614 | 1497614 | 1120000 | |

प्रशासनिक स्वीकृति की राशि-14,97,614=00 (चौदह लाख सनतानवे हजार छह सौ चौदह रुपये मात्र)
विमुक्ति राशि- 11,20,000=00 (ग्यारह लाख बीस हजार रुपये मात्र)

कार्यकारी एजेन्सी का नाम :- इन स्वीकृत योजनाओं का कार्य एन0बी0सी0सी0 इंडिया लिमिटेड द्वारा योजना एवं विकास विभाग पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013, विभागीय संकल्प संख्या 5255 दिनांक 23.06.2014,के आलोक में स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार के द्वारा स्थानीय निविदा /विभागीय स्तर पर योजनाओं का कार्यान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय।

कार्यान्वयन की शर्तें

1. योजना का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संतुष्ट हो लेगे कि स्थल विवादग्रस्त नहीं है, तथा किसी की निजी जमीन योजना स्थल के बीच में नहीं पड़ती है। योजना कार्य के किसी भी वजह से अवरुध होने की स्थिति में सारी जवाबदेही आपकी होगी। संबंधित अंचलधिकारी से भूमि प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही योजनाओं का कार्यान्वयन प्रारम्भ किया जाय।
2. प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार पत्रांक 3756 दिनांक 10/11/2013 में निहित निर्देश के आलोक में स्वीकृति योजनाओं के लोक निर्माण सहिता के प्रावधानों के अनुरूप निविदा के माध्यम से कराया जाय।
3. योजनाओं के प्राक्कलन का पुनरीक्षण किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत प्राक्कलन में वर्णित कंडिकावार विशिष्टियों के अनुरूप योजना-कार्य सम्पादित किया जाय।
5. योजना के कार्य की गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी या त्रुटि पाए जाने पर सारी जवाबदेही आपकी होगी।
6. योजना स्थल पर योजना से संबंधित पूर्ण विवरणी अंकित करते हुए योजना पट्ट लगाना सुनिश्चित करे।
7. योजना स्थल पर स्वीकृत प्राक्कलन की एक प्रति रखा जाना आवश्यक हैं।
8. योजना स्थल पर योजना प्रारंभ करने के पूर्व, कार्यान्वयन अवधि में एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटे ग्राफी/विडियो ग्राफी की प्रति योजना कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

9. योजना पूर्ण होने पर प्रारंभ करने की तिथि तथा पूर्ण होने की तिथि के साथ पूर्णता/उपयोगिता प्रमाणपत्र भेजा जाए, ताकि इन नवसृजित योजनाओं का भविष्य में रख रखाव हेतु संबंधित प्रशासी विभाग को स्थानांतरित किया जा सके।
10. योजना का कार्य तीन माह में निश्चित रूप से पूर्ण कर लिया जाय।
11. योजना कार्य प्रारंभ करने के पूर्ण संबंधित अंचलधिकारी से भूमि संबंधी स्पष्ट प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर ले। यदि योजना स्थल में किसी की रैयाती भूमि अवस्थित हो तो भू-दाता के द्वारा उसे महामहिम राज्यपाल के नाम से निबंधित करने के पश्चात् ही योजना कार्य प्रारंभ करे। अन्यथा किसी भी प्रकार अनियमितता की सारी जबावदेही संबंधित कार्य एजेन्सी की होगी।
12. प्रत्येक माह के 2री तारीख तक निश्चित रूप से मासिक प्रगति प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिला योजना कार्यालय सारण छपरा को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
13. विभागीय प्राप्त निदेश के अनुपालनार्थ यदि प्राक्कलन में सेंटेज चार्ज शामिल है तो सेंटेज प्रभार की अंकित राशि द्वितीय किस्त की विमुक्ति की जाने वाली राशि से काट ली जायेगी।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 2050/यो० दिनांक 11-12-18

प्रतिलिपि:- एन०बी०सी०सी० इंडिया लिमिटेड डाक बंगला रोड मौर्या टॉवर पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- नाजीर जिला योजना कार्यालय सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव योजना एवं विकास बिहार पटना क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी सारण प्रमण्डल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर एन० आई० सी सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं जिला के बेवसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करे/संबंधित अंचलधिकारी जिला सारण को सूचनार्थ एवं निदेश है। कि उपरोक्त योजनाओं का जमीन प्रतिवेदन कार्य एजेन्सी को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी सारण, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित/माननीय सदस्य को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला योजना पदाधिकारी
सारण, छपरा।